पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मुख्य अभियन्ता (परीक्षण एवं परिचालन)/स्काडा कार्यालय

132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर काठगोदाम–263126

Email :cetchaldwani@gmail.com

PTCUL

पत्रांक– 528 /मु0अ0(परी0एवंपरि0)एवं स्काडा/पिटकुल/ह दिनांक– 26/6/2018

सूचना

विषयः– सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध मे।

सूचित करना है कि कारपोरेशन कार्यो को गति प्रदान करने हेतु मानव शक्ति की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन कार्यहित में पिटकुल में निम्नलिखित खण्डों में पिटकुल टी0एण्डसी0 के पद से सेवानिवृत्त कार्मिकों को एक वर्ष (अथवा रिक्त पद पर नियमित कार्मिक की नियुक्ति होने तक) जो भी पहले हो, की सीमित अवधि के लिए अनुबन्ध पर रखा जाना निम्नवत प्रस्तावित हैः–

क्र0सं0	खण्ड का नाम	अवर अभियन्ता की आवश्यकता
1	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड देहरादून	01

अनुबन्ध पर नियोजित किये जाने की शर्ते निम्न प्रकार से हैः–

(क) सेवानिवृत्त कार्मिकों को कार्य करने हेतु आवेदन के साथ किसी भी चिकित्सालय से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र तथा अपने अन्तिम नियन्त्रक अधिकारी से स्वयं के विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही लम्बित न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) पुनर्नियोजित सेवकों को विशिष्ट कार्य हेतु निर्धारित अवधि के लिए ही नियुक्त किया जायेगा। सावधिक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष अथवा रिक्त पद पर नियमित कार्मिक की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, की जायेगी।

(ग) पुनर्नियोजित सेवकों को 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात अनुबन्ध पर नही रखा जायेगा।

(घ) ऐसे पुनर्नियोजित अथवा अनुबन्ध पर रखे गये कारपोरेशन सेवकों को उनके वेतन निर्धारण के लिए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्नियोजित पद के वेतनमान का अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो, में से केवल शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) की धनराशि ही घटायी जायेगी, अर्थात उन्हें अन्तिम आहरित वेतन (–) शुद्ध पेंशन से जो भी धनराशि आयेगी उससे अधिक वेतन अनुमन्य नही होगा।

(च) अनुबन्ध पर नियोजित कारपोरेशन सेवक की सेवा अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने से पहले भी किसी भी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है। इस शर्त के अधीन रहते हुए उन पर अन्य सेवा शर्ते वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती है।

(छ) अनुबन्ध पर नियोजित की अवधि पेंशन के लिए नही गिनी जायेगी और पद भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(ज) अनुबन्ध पर नियोजित की अवधि में कारपोरेशन सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ता सेवानिवृति के समय धारण किये गये पद के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे, जैसा कि यात्रा भत्ता विषयक आदेश में प्रावधान है।

पिटकुल/टी0एण्डसी0 से अवर अभियन्ता पद के सेवानिवृत्त कार्मिक दिनांक–10.07.2018 तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र वांछित प्रमाण–पत्रों/प्रपत्रों सहित जीवन–वृत्त के साथ अनुबन्ध पर नियोजन हेतु प्रेषित कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

पत्रांक– 528 /मु0अ0(परी0एवंपरि0)एवं स्काडा/पिटकुल/ह तद्दिनांक–26/6/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना)/(परिचालन)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर– II, पिटकुल,........ ।
4. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0) पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया इसकी एक प्रति पिटकुल की बैवसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल .... ।
6. नोटिस बोर्ड।

(एन0सी0 तिवारी)
मुख्य अभियन्ता (परी0एवंपरि0) एवं
स्काडा, हल्द्वानी